

उत्तर प्रदेश शासन  
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-2  
संख्या- 10/2019/1803/सीलह-2-2019  
लखनऊ, दिनांक: 23 दिसम्बर, 2019

## नियुक्ति/विज्ञप्ति

प्राविधिक शिक्षा विभाग (डिप्लोमा सेक्टर) उ०प्र० के अन्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, उ०प्र० में प्रवक्ता विद्युत् अभियंत्रण के 11 पदों पर सौधी भर्ती द्वारा नियमित चयन के फलस्वरूप लोक सेवा आयोग, उ०प्र० की संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रवक्ता विद्युत् अभियंत्रण के पद पर वेतनमान रु०-15,600-39,100 ग्रेड वेतन रु०-5400/- में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उनके नाम के सम्मुख भक्ति ताजिका के स्तम्भ-4 में अंकित संस्था में तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम सर्वश्री-	स्थायी पता	तैनाती की संस्था
1	2	3	4
1	अंकिता नायक पुत्री श्री जनार्दन प्रसाद	ए-341, एच०ए०एल० कालोनी, इन्दिरा नगर, फेजाबाद रोड, लखनऊ, उ०प्र०-226016	राजकीय पालीटेक्निक, कुर्सी रोड, फतेहपुर, बाराबंकी
2	संघिन शर्मा पुत्र स्व० श्री कुंवर पाल	संघिन शर्मा द्वारा श्री अनिलशर्मा 12 स्टेट बैंक कालोनी, जानमठ रोड, मुजफ्फर नगर, उ०प्र०-251001	राजकीय पालीटेक्निक, बिजनौर
3	दिव्य सिकरवार पुत्र श्री हाकिम सिंह	ग्राम-रूपौड़े की तरिया, पोस्ट-बलदेव, जिला-मथुरा, उ०प्र०-281301	राजकीय पालीटेक्निक, टुण्डला, फिरोजाबाद
4	दीपेश शर्मा पुत्र श्री हरिओम शर्मा	ग्राम-महेशपुर, थाना-रुद्रपुर, जिला-देवरिया, उ०प्र०-274204	राजकीय पालीटेक्निक, पुरेना, सदर, महाराजगंज (संचालित राजकीय पालीटेक्निक, गोरखपुर)
5	रजित सिंह पुत्र श्री सुरेंद्र सिंह	ग्राम-डुडा, पोस्ट-रानीपुर, तहसील-मझनपुर, जिला-कौशाम्बी, उ०प्र०-212214	राजकीय पालीटेक्निक, फतेहपुर
6	उपेंद्र सिंह पुत्र श्री शिशुपाल सिंह	इन्दिरा आवास कालोनी, भरथना रोड, इटावा, उ०प्र०	राजकीय पालीटेक्निक, छाछा, भोगांव, मैनपुरी
7	निकिता गुप्ता पुत्री स्व० श्री रजनीश कुमार गुप्ता	धरवरान गंज, लखीमपुर खीरी, उ०प्र०	राजकीय महिला पालीटेक्निक, जहानपुर, निगोही, तिलहर, शाहजहांपुर

2- संबंधित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उक्त वेतनमान के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे।

3- संबंधित अभ्यर्थियों को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वे अपना कार्यभार इस आदेश के निर्गत होने के दिनांक से एक माह के अन्दर अवश्य ग्रहण कर हों अन्यथा उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

4- संबंधित अभ्यर्थियों की पारस्परिक ज्येष्ठता सुसंगत नियमावली के प्राविधानों के अनुरूप बाद में निर्धारित की जायेगी।

5- संबंधित अभ्यर्थी उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संबंधित अभ्यर्थियों को 02 वर्ष की विहित परीक्षा पर रहेंगे।

  
ड० अलका वर्मा  
संयुक्त सचिव।